मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ 2/1/2002/चार/नियम

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2002

प्रति,

1. **महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लोकल हेड आफिस, मैदा मिल, भोपाल,**
2. **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल आफिस, भोपाल,**
3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, यशवंत रोड, इंदौर,
4. पंजाब नेशनल बैंक, जवाहर भवन, रोशनपुरा नाका, भोपाल,
5. बैंक ऑफ इण्डिया, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल,
6. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गंगोत्री भवन, टी.टी.नगर, भोपाल,
7. इलाहाबाद बैंक, गौतम नगर, भोपाल,
8. बैंक ऑफ बड़ौदा, गौतम नगर, भोपाल,
9. आई.सी.आई. बैंक,
10. हुडको,
11. एच.डी.एफ.सी., रंजीत टॉवर, प्लॉट नं. 8, जोन 2, एम.पी.नगर, भोपाल,
12. आई.डी.बी.आई. बैंक, भोपाल,
13. संचूरियन बैंक, भोपाल।

विषय:- शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण क्रय/ वाहन तथा कम्प्यूटर के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना।

***

महोदय,

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्र एफ/2/1/2002/चार/नियम, भोपाल दिनांक 19/22.7.2002 के द्वारा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/ क्रय, वाहन तथा कम्प्यूटर क्रय तथा बच्चों के शिक्षा के लिए ऋण प्रदाय करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इन निर्देशों की एक प्रति सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(आर.एन.वर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2002

क्रमांक एफ 2/1/2002/नियम/चार

22 जुलाई, 2002

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय कमिश्नर्स,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः- शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय, वाहन तथा कंप्यूटर क्रय के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना।

निजी वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/वाहन ऋण के संबंध में जारी की गई योजना क्रमांक 191/2000/सी/चार, दिनांक 25 जनवरी, 2000 तथा क्रमांक 1656/2000/सी/चार, दिनांक 1 अगस्त, 2000 को निरस्त किया जाता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है शासकीय सेवकों को राज्य शासन के स्थान पर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय, वाहन तथा कंप्यूटर क्रय तथा बच्चों की शिक्षा के लिये ऋण की व्यवस्था की जाये। इस हेतु एक योजना तैयार की गई है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. ऐसे शासकीय सेवक जिन्हे शासन द्वारा पूर्व में कुछ किस्ते ऋण/अग्रिम भुगतान की गयी है, उन्हे पूर्ववत निर्धारित सीमा तक शासन द्वारा ऋण/अग्रिम का भुगतान किया जावेगा।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(आभा अस्थाना)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2002

पृ. क्रमांक एफ 2/1/2002/नियम/चार

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।

4. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
5. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
18. समस्त मान्यता प्राप्त संगठन/संघ।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित।

(आर.एन.वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त

शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/क्रय, कंप्यूटर-क्रय एवं शिक्षा आदि के लिये ऋण उपलब्ध कराने की योजना.

1. **योजना का नाम:-** यह योजना शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना कहलायेगी।

2. **उद्देश्य :-**इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्था से आवासीय प्लॉट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर क्रय या बच्चों की शिक्षा के लिये उनकी आवश्यकता तथा पात्रता अनुसार ऋण की व्यवस्था करना है।

3. **प्रारंभ:-** यह योजना दिनांक 01.08.2002 से प्रारंभ होगी।

4. **विस्तार:-**

(i) यह योजना निम्नांकित वर्गो को छोडकर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी।

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी

(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी

(स) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी

(द) शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी

(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थायी सेवा पूर्ण कर ली हो, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन पर भी यह योजना लागू होगी ।

5. **वित्तीय संस्था का चयन:-** राज्य शासन के कर्मचारियों को व्यवसायिक बैंको/वित्तीय संस्थाओं से स्वयं के लिए आवासीय प्लॉट का क्रय, भवन निर्माण/क्रय, वाहन क्रय, कंप्यूटर-क्रय, बच्चों की शिक्षा के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के विषय में विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओं से विचार विमर्श किया गया है। इस संबंध में विभिन्न बैंकों /वित्तीय संस्थाओं में से किसी से ऋण लेने के लिए जो शासकीय सेवक इच्छुक हों, वे उनके कार्यालय-प्रमुख द्वारा अनुशंसा पत्र **(परिशिष्ट-1)** जिसमें कर्मचारी के वेतन, भत्ते आदि की प्रमाणित जानकारी हो, के साथ सीधे इन बैंको/वित्तीय संस्थाओं के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ऋण प्रदाय के लिये आवश्यक सभी प्रपत्र आदि संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। बैंक/ वित्तीय संस्था, कर्मचारी के वेतन के आधार पर पात्रतानुसार ऋण स्वीकृत कर सकता है। बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति की एक प्रति मय शर्तों आदि के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दी जावेगी एवं कर्मचारी के अभिलेख में रखी जावेगी।संपत्ति पर प्रथम चार्ज बैंक/ वित्तीय संस्था [illegible]

लिखित सहमति दे तो, ऋण की बकाया राशि अवकाश नगदीकरण,ग्रेज्युटी जैसी देय राशि से भी वसूल की जा सकेगी ।

(3) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने प्लाट/भवन के निर्माण/ क्रय हेतु बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया है से, ऋण की पूरी किश्त चुकाने के पूर्व ही यदि उक्त संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस ऋण को माफ करने की कोई व्यवस्था करनी होगी। अर्थात इस संबंध में बैंक को कर्मचारी के प्लाट/ मकान का बीमा इत्यादि कराकर आवश्यक व्यवस्था करना होगी। बीमा की प्रीमियम का व्यय-भार कर्मचारी को वहन करना होगा।

(4) ऐसे शासकीय कर्मचारी जो ऋण लेने के उपरांत किसी कारणवश निलंबित हो जाते हैं, के विषय में ऋण की किश्तों की वसूली की जिम्मेदारी राज्य शासन की नही रहेगी। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यालय-प्रमुख द्वारा संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को सूचित किया जावेगा ताकि वह उक्त कर्मचारी से संपर्क कर सीधे ऋण की किश्तों की राशि प्राप्त कर सके।

(5) ऋण प्राप्त करने वाले शासकीय कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसकी सूचना कार्यालय-प्रमुख द्वारा तत्काल संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जायेगी जो ऋण की शर्तों के अनुसार शेष ऋण, ब्याज आदि की वसूली करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही करेगी। इस संबंध में राज्य शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(6) यदि कोई शासकीय कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण वेतन की पात्रता हासिल नही करता है, तो उसके ऋण की वसूली के विषय में भी उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि निलंबित कर्मचारी के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ऋण की किश्तें शासकीय कर्मचारी से लेकर संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था में जमा कराने की सुविधा का यह अर्थ नहीं है कि राज्य शासन उक्त किश्त के भुगतान अवरूद्ध होने की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी ले रहा है सभी ऋण प्रकरणों में ऋण, ब्याज आदि की वसूली की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था की होगी।

(7) ऋण प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में ऐसी किसी घटना यथा-सेवा से निलंबन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि जिसका प्रभाव वेतन के भुगतान की व्यवस्था पर पडता हो, के संबंध में जारी होने वाले आदेश की प्रति संबंधित ऋण प्रदायकर्ता बैंक को पृष्ठांकित की जायेगी।

(8) **अगर किसी कारण से शासकीय सेवक और वित्तीय संस्थाओं के बीच विवाद होता है और मामला न्यायालय में जाता है तो राज्य शासन को किसी भी पक्ष द्वारा पार्टी नहीं बनाया जायेगा।**

प्रति

प्रबन्धक,
बैंक/वित्तीय संस्थाएं,
....
....

विषयः- बैंक/वित्त संस्थाओं से मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों द्वारा ऋण लेने की सुविधा।

उपर्युक्त विषय के संबंध में लेख है कि श्री....................................आत्मज श्री.................................इस कार्यालय के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी है। इन्होने आपकी बैंक/संस्था से गृह/आवास/वाहन/कम्प्यूटर/बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु इच्छा व्यक्त की है। इनकी सेवा का विवरण निम्नानुसार है:-

1. कर्मचारी का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. पदनाम..
4. वर्तमान कार्यालय का पता..
5. स्थायी निवास का पता..
6. जन्मतिथि ....
7. शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक ....
8. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने का दिनांक..................................
9. वेतन का विवरण..

सं.क्र.	वेतन का विवरण		कटौती का विवरण	
1	मूल वेतन		सामान्य भविष्य निधि अंशदान	
			समूह बीमा योजना	
2	मंहगाई भत्ता		गृह निर्माण अग्रिम	
3	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता		वाहन अग्रिम	
4	वाहन भत्ता		अनाज अग्रिम	
5	अन्य भत्ता		त्योहार अग्रिम	
6			अन्य कटौत्री	
7			कुल योग कटौत्री	
8	कुल योग वेतन रूपये			
9	भुगतान योग्य शेष रूपये			

उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपकी बैंक/संस्था के लिये गये ऋणों की माह वार किश्त की राशि, संबंधित कर्मचारी से सहमति प्राप्त होने पर श्री....................................वेतन से प्रतिमाह कटौत्री वसूल करने के लिये आपकी बैंक/संस्था को अधिकृत किया जा सकेगा।

इसके साथ ही उक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा जानबूझकर ऋण समय पर भुगतान न करने की दशा में विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(.....................)
कार्यालय प्रमुख
....

शाकेमुमो—806—अमावाव—23-7-2002—1000.